छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1614 /एल 6–2/2015/वित्त/ब–4 नया रायपुर, दिनांक 20/03/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चेक बुक कोषालयों में जमा करने विषयक ।

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1575/एल 6–2/2015 दिनांक 13.3.2015

संदर्भित ज्ञापन द्वारा समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2015 को संध्या 5.00 बजे तक चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करने तथा उपयोग किए गए/निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ दिए जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत उक्त तिथि में वृद्वि करते हुए चेक बुक जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च, 2015 निर्धारित की जाती है । संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी ।

(शहला निगार)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक 1615 /एल 6–2/2015/वित्त/ब–4 नया रायपुर, दिनांक 20/03/2015

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़ ।
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।

8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
11. सचिव/विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, रायपुर ।
12. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मंत्रालय, रायपुर ।
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
15. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर ।
16. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

24/03/16

(ऋषभ पाराशर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
दूरभाष क्र. 0771–2510892

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

कमांक 1579 एल 6–2/2015/वित्त/ब–4 नया रायपुर, दिनांक 13/03/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चेक बुक कोषालयों में जमा करने विषयक ।

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 318/ब–1/चार/2002 दिनांक 26.2.2002 (वित्त निर्देश 2002/10)

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देश को शिथिल करते हुए दिनांक 20 मार्च, 2015 को संध्या 5.00 बजे समस्त चेक आहरण अधिकारी, अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किए गए/निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे ।

(2) दिनांक 20 मार्च, 2015 के बाद ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, स्थानीय जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है । ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर अनिवार्यतः वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए ।

(3) 20 मार्च 2015 के उपरांत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा ।

(4) वित्तीय वर्ष के लेन–देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा ।

(शहला निगार)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक 1576/एल 6–2/2015/वित्त/ब–4 नया रायपुर, दिनांक 13/03/2015

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़ ।
6. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
11. सचिव/विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, रायपुर ।
12. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मंत्रालय, रायपुर ।
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
15. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर ।
16. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
दूरभाष क्र. 0771–2510445